

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी 2016—फाल्गुन 8 शक 1937

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्र. एफ-1-51-2000-दो-ए(3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संपदा संचालनालय, भोपाल, चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के लिये भर्ती तथा सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, “संपदा संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015” है.

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

- (क) सेवा या पद के संबंध में ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ से अभिप्रेत है, संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल;
- (ख) ‘परीक्षा’ से अभिप्रेत है, नियम-6 के अधीन भरती के लिये संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;
- (ग) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) ‘राज्यपाल’ से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ) ‘अनुसूची’ से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (च) ‘अनुसूचित जाति’ से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग अथवा उनमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (छ) ‘अनुसूचित जनजाति’ से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उनमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

- (ज) 'चयन समिति' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई चयन समिति;
- (झ) 'अन्य पिछड़ा वर्ग' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26.12.84 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ण) 'सेवा' से अभिप्रेत है संपदा संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा;
- (प) 'राज्य' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना,—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन,—

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों।
- (2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों, तथा
- (3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों।

5. वर्गीकरण वेतनमान आदि,—

सेवा का वर्गीकरण उसके लिये वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी, परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थाई या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका,—

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी अर्थात् :—
 - (क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती।

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम (3) में दर्शाए गए अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो, मूल हैसियत में धारण करते हों।

- (2) उप नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार के परामर्श से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) उप नियम-(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् सेवा में भर्ती के लिये उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किये जाएं।

7. सेवा में नियुक्ति,-

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें,-

चयन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी, अर्थात् :-

(1) आयु :-

- (क) उसने परीक्षा/ चयन प्रारंभ होने की तारीख की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (तीन) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (चार) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं) की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध नियम, 1997 के नियम-4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्च आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :-

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यही रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-

पद "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाइयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-

पद 'भूतपूर्व सैनिक' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या

सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित कर दिया गया हो :-

- (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कंसेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
 - (2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो,
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवानुक्त कर दिया गया हो;
 - (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक;
 - (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक, जिनमें अल्पकालिक सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवानुक्त किए गए हो;
 - (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर छह माह से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवानुक्त किया गया है;
 - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है;
 - (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवानुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
 - (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (ड) विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) 'विक्रम पुरस्कार' धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

- (झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन-कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक की सीमा के अधधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टिप्पणी :-

- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उप खण्ड (एक) व (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
- (3) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा अधिकतम आयुसीमा की गणना परिपत्र क्रमांक सी.3-11/12/1/3 दिनांक 3.11.2012 एवं 20.11.2012 के अनुसार की जाएगी।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :-

अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए अनुसूची-तीन में दर्शायी गयी विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

- (3) फीस :- अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा।

9. निरर्हताएं,-

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को सरकार द्वारा उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में निरर्हता माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक

संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा ।

- (4) कोई भी उम्मीदवार, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय से ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का विनिश्चय अंतिम होगा,—

परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और फिर ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती,—

- (1) सेवा में भरती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतराल से ली जाएगी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर सरकार के परामर्श से अवधारित करे।
- (2) सरकार द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं, अनुसार संचालित की जाएगी।
- (3) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित प्रतिशत में सीधी भरती के प्रक्रम में आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें उनके नाम नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप नियम-(3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को करने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियाँ शासन की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों में से नहीं भरी जाएगी। तो उन्हें उस प्रवर्ग, जिसके लिये पद को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिये किसी भी रीति से अनारक्षित नहीं किया जाएगा।
- (7) सरकार द्वारा निःशक्तजनों के लिये आरक्षण की व्यवस्था समस्तर और प्रभागवार रहेगी।

12. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची,—

- (1) ऐसे स्तर से अर्हित अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची सरकार को अग्रेषित करेगा जैसा कि समिति अवधारित करे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर में अर्हित नहीं है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हैं। सूची की सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाएगा।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर सूची में दिये गये अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के संबंध में विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने, से उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वे आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति,—

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लेखित सदस्य होंगे, परन्तु इस उप नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-8 के उपबंधों का पालन किया जाएगा।
- (2) समिति सामान्यतया एक वर्ष से अनधिक के अंतरालों में अपनी बैठक करेगी।
- (3) पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (4) आरक्षित रिक्त स्थानों में पदोन्नतियों के लिये प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये अनुदेशों के अनुसार होगी।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें,—

- (1) समिति, उप नियम-(2) अधीन रहते हुए उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें सरकार ने उनके समतुल्य घोषित किया है। चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जितनी

अनुसूची-चार के कॉलम (4) में वर्णित हो और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों।

- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा नियम, 1997 के उपबंध पदोन्नतियों हेतु विचारण क्षेत्र के लिये लागू होंगे।

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना,-

- (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम-14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये उपयुक्त ठहराया गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उक्त सूची में सम्मिलित रिक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत की एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी।
- (2) ऐसी चयन सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में तथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :-

ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के आधार पर ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का दावा नहीं रहेगा।

- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।
- (4) यदि इस प्रकार चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाय कि यथास्थिति, अधीनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाय तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

16. चयन सूची :-

- (1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विहित किये गये पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विहित किये गये पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।
- (2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम-15 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता, किन्तु उसकी विधि मान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी, परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और यदि उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति,—

- (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएंगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक चयन सूची से उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आई हो, जो सरकार की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. परिवीक्षा,—

सेवा में सीधी भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

19. निर्वचन,—

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह सरकार को, निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. शिथिलीकरण :-

इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में कार्य करने की शक्ति को, जो उसे न्यायपूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है, परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हों।

21. व्यावृत्ति,—

इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. निरसन,—

इन नियमों के तत्स्थानी और प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में तत्काल निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

अनुसूची- एक
(नियम-5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	छंटवा वेतनमान
1.	2.	3.	4.	5.
संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल।	भृत्य	7	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 ग्रेडपे

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिए)

भरती का तरीका

विभाग का नाम	पद तथा सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	पदों को भरने का प्रतिशत		
			सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल।	भृत्य	7	100%	—	—

अनुसूची-तीन (नियम-8 देखिये)

सीधी भरती हेतु आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	पद तथा सेवा का नाम	न्यूनतम आयुसीमा	अधिकतम आयुसीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएँ	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल।	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण	

अनुसूची-चार (नियम-14 देखिये)

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

विभाग का नाम	उस पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है।	पदोन्नति के लिये अनुभव की पात्रता की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1.	2.	3.	4.	5.
संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल	भृत्य	सहायक ग्रेड-3	पूर्व पद का 5 वर्ष का अनुभव एवं शासन द्वारा सहायक ग्रेड-3 की निर्धारित भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता	1.संचालक - अध्यक्ष 2.आवंटन अधिकारी - सदस्य 3.नायब तहसीलदार - सदस्य 4.सहायक अधीक्षक - सदस्य सचिव

No. : F.1-51/2000/ दो-ए(3) : In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the members of Directorate of Estate Class-IV Services, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Directorate Estates Class IV Service Recruitment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service or posts means the Director, Estates;
- (b) "Committee" means the selection committee/department promotion committee as specified in Schedule-IV;
- (c) "Examination" means the competitive examination held for recruitment under rule-6;
- (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (g) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe of part of or group within a caste, race of tribes specified as scheduled castes with respect to the state of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (h) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or Tribal community specified as scheduled tribes with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

- (i) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizen specified by the State Government vide notification No. F.8-5/XXV/4/84 Dated 26.12.84 as amended from time to time;
- (j) "Service" means the Directorate of Estate Class IV Service;
- (k) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and application.-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of Service.-

The service shall consist of the following persons, namely:-

- (1) Persons, who at the commencement of these rules, are holding the posts substantively or in an officiating capacity as specified in Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc.-

The classification of the service and the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce, the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.-

- (1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-
 - (a) By direct recruitment, by selection or by competitive examination.
 - (b) By promotion of the members of the service as specified in column (2) of schedule-IV.
 - (c) By transfer of persons holding such posts in substantive capacity in such services as specified in this behalf.

- (2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub rule (1) shall not, at any time exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of the posts specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the State Government.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, he may after approval of the Government in the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub rule, as it may, by order issued in this behalf prescribe.

7. Appointment to the service.-

All appointment to the service after commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-

In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:

Age:

- (a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class.
- (c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years to a woman candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997, Provided that the upper age

limit shall not, in any case, exceed 45 years including all types of exemptions.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

- (i) A candidate who is permanent Government servant should not be more than 45 years of age.
- (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age, this concession shall also be admissible to the contingency paid employees, Work Charged employees and employees working in the Project Implementation Committees.
- (iii) A candidate, who is retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation:

The term "retrenchment Government Servant" denotes a person, who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six month and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation:

The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service:-

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
 - (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) completion of short term engagement;
 - (b) fulfilling the conditions of enrolment;
 - (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit; Employees (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers;
 - (4) Employees discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
 - (5) Ex-serviceman invalidated out of service;
 - (6) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (7) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.
- (e) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of widows, destitute or divorced woman candidate.
- (f) The upper age limit shall also be relaxable upto 2 years in respect of green-card holder candidates.
- (g) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the

Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Other Backward Classes Welfare Department.

- (h) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the "Vikram Award" holder candidates.
- (i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State/ Corporations/Boards.
- (j) The upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service so rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case, their age should exceed 45 years.

Note:

- (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They shall however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.
- (2) In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.
- (3) The upper age limit shall not, in any case, exceed 45 years including all types of exemptions and the upper age limit shall be calculated in accordance with the circular No. C.3-11/12/1/3 Dated 3.11.2012 and 20.11.2012.

(2) Educational Qualifications.-

Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) Fees.-

The candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority.

9. Disqualifications.-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Committee to disqualify him for examination/selection.
- (2) Any candidate who has married earlier to the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for appointment in the service.
- (3) Any candidate, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall not be eligible for the service or post:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to the service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001, in which two or more than two children are borne.

- (4) Any candidate, who has been convicted of any offence against women, shall not be eligible for the service or post:

Provided that where such cases are pending against any candidate in any court, the matter of his appointment shall be kept pending till the final disposal of the criminal case.

10. Committee's Decision about the Eligibility of Candidates shall be final.-

The decision of the committee as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Committee shall be allowed to appear in the examination.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination.-

- (1) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may in consultation with the committee from time to time determine.
- (2) The selection committee in accordance with the orders issued by the Government from time to time shall hold the examination.

- (3) The posts shall be kept reserved in available vacancies for direct recruitment for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provisions of reservation rules.
- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule-12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee under sub rule (3) to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.
- (6) If the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes are not available in sufficient number against the posts reserved to fill such vacancies, the remaining vacancies shall not be filled up without previous permission of the Government. Such posts shall not be by any means deserved to fill up such posts with persons belonging to different classes for which the post was reserved.
- (7) The provisions for reservation for disabled persons as declared by the Government shall be horizontal and Compartment-wise.

12. List of Candidates Recommended by the Selection Committee.-

- (1) The appointing authority shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the appointing authority may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961. The candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. Appointment by Promotion.-

- (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates :

Provided that, for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

- (2) The Committee shall meet at such intervals as it thinks fit, but ordinarily not exceeding one year.
- (3) Reservation in promotion to the extent of zone of consideration shall be made in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in promotion and limits of extent of zone consideration) Rules, 1997.
- (4) The procedure for promotion on reserved post shall be according to circulars issued by the General Administration Department from time to time.

14. Conditions of Eligibility for Promotion.-

- (1) The committee shall consider the case of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of the years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other posts or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with provisions of sub-rule (2).

- (2) For the zone of consideration for promotion, the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rules, 1997 shall apply.

15. Preparation of the list of suitable candidates.-

- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserved list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring, during the course of aforesaid period.
- (2) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

Explanation:

A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (4) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of the Service the Committee shall record its reasons for the proposed suppression.

16. Select List.-

- (1) The list as finally approved by the appointing authority shall be the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.
- (2) The select list shall usually remain in force till it is not taken in review or revision under sub-rule (4) of rule 15, but its validity cannot be extended beyond 18 months from the date of its preparation provided that the Government shall review the select list and if deemed fit can remove the

name of any person in case of serious lapse in discharge of duty by a person included in the select list.

17. Appointment to the service from the select list.-

- (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18. Probation.-

Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservations and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. Repeal:

All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I (see rule 5)

Classification of service, Scale of Pay and the number of posts included in the service

Name of Department	Name of post included in the service	No. of posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director, Estates, Bhopal.	Peon	7	Class IV	4440-7440+1300 GP

SCHEDULE-II (see rule 6)

Method of Recruitment

Name of Department	Name of post included in the service	No. of posts	Percentage of the posts to be filled in		
			By direct recruitment	By promotion	By transfer of persons/ deputation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director, Estates, Bhopal.	Peon	7	100%	-	-

SCHEDULE-III (see rule 8)

Age and Qualifications for Direct Recruitment

Name of Department	Name of Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director, Estates, Bhopal.	Peon	18 Years	40 Years	Must have passed VIII Examination from any recognized Institution.	-

SCHEDULE-IV
(see rule 14)
Appointment by Promotion

Name of Department	Name of post from which promotion is to be made	Name of the post to which the promotion is to be made	Period of Experience eligibility for promotion	Name of the member of departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director, Estates, Bhopal.	Peon	Assistant Grade-III	5 years experience and prescribed educational qualification for Assistant Grade-III	1. Director - Chairman 2. Allotment officer - Member 3. Naib Tehsildar - Member 4. Assistant Superintendent - Member Secretary

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.